

fopkj kFkZ fo"k;

- i. राज्य के लिये आवश्यक वित्तीय सुधार के उपाय,
- ii. राज्य शासन व नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकायों के मध्य बंटन योग्य करों के शुद्ध आगमों के निर्धारण और नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में,
- iii. ऐसे कर व शुल्क के निर्धारण के बारे में जो स्थानीय निकायों को सौंपे जावें,
- iv. राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान के संबंध में,
- v. स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार किये जाने के विभिन्न उपाय ।